28

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर–2

सेवा में,

1– कुलपति, – अध्यक्ष
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर–2

2– प्रमुख सचिव वित्त, – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

3– सचिव उच्च शिक्षा, – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

4– सचिव कृषि, – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

5– निदेशक पशुपालन, – सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6– कृषि निदेशक, – सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7– डा0 आर0सी0 महेश्वरी, – सदस्य
सहायक महानिदेशक (सीएससी),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

8– श्री इन्द्रजीत सरोज, विधायक, – सदस्य
225, प्रीतम नगर, कबीर मन्दिर के निकट, इलाहाबाद ।

9– श्री बाल चन्द्र मिश्र, – सदस्य
105, म0आ0वर्ग, केशवनगर,
डब्लू ब्लाक, जूही, कानपुर ।

10– डा0 अजय कुमार अवस्थी, – सदस्य
641/2, न्यू रायगंज, सीपरी बाजार, झांसी ।

11– श्री अमर सिंह, – सदस्य
ग्राम व पोस्ट–फतेहपुरा, इटावा ।

12– श्रीमती मुन्नी राजपूत, – सदस्य
पत्नी श्री अखिलेश सिंह राजपूत,
ग्राम–खरौली, पोस्ट–छिबरामऊ, कन्नौज ।

13– डा0 हरि गोविन्द सिंह, – सदस्य
ग्राम–पूरे बने भदौरिया, पोस्ट–कोन्हरा,
जिला–सुल्तानपुर ।

14– बाबा राम नाथ यादव, विधायक, – सदस्य
म0नं0–517, गाड़ीवान, मैनपुरी ।

संख्या:सीएसयूपी/सी–426 /बोर्ड–109 दिनांक: अगस्त 13 ,1999

महोदय,

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 11–8–1999 को कृषि निदेशालय, लखनऊ के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई 109वीं बैठक की कार्यवाही की एक प्रति आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

भवदीय,

(जगदेव प्रसाद)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १०६वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान : सभाकक्ष, कृषि निदेशालय,लखनऊ **दिनांक** : ११–८–१६६६

समय : १०.३० बजे पूर्वान्ह

उपस्थिति

१.	डा० राम नाथ , कुलपति	अध्यक्ष
२.	श्री केशव देसिराजु, कृषि सचिव	सदस्य
३.	श्री सुशील मोहन, सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता	प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
४.	डा० आर०सी० महेश्वरी, सहायक महानिदेशक(सीएससी)	सदस्य
५.	डा० हरि गोविंद सिंह	सदस्य
६.	डा० एन०के० अवस्थी	सदस्य
७.	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	सदस्य
८.	बाबा राम नाथ, एम०एल०सी०	सदस्य
९	श्री अमर सिंह	सदस्य
१०.	डा० एल०पी० वर्मा, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा	सचिव,उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि
११.	श्रीमती मुन्नी राजपूत	सदस्य
१२.	श्री जगदेव प्रसाद, अर्थ नियंत्रक	सचिव

मद सं० १ **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १०८वीं बैठक दिनांक ८.१२.६८ की कार्यवाही का अनुमोदन**

प्रबन्ध मण्डल ने १०८वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।

मद सं० २ **प्रबन्ध मण्डल की १०८वी बैठक दिनांक ८.१२.६८ में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।**

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष १०८वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही प्रस्तुत की गई और निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई –

दिनांक ८.१२.६८ की १०८वीं बैठक केप्रारम्भ में लिये गये निर्णय पर कुलपति द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी डा० एम०एम० अग्रवाल, प्राध्यापक की जांच रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि माननीय सदस्य श्री बाल चन्द्र मिश्र के आवास पर विश्वविद्यालय / कुलपति द्वारा गमले, मुरब्बा एवं चावल नहीं भेजे गये। श्री बाल चन्द्र मिश्र ने जांच रिपोर्ट पर आपत्ति की और कहा कि जांच अधिकारी द्वारा इस प्रकरण पर श्री मिश्र से लिखित आख्या मांगी ही नहीं गई ।

प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त इस घटना की पुनः कड़ी निन्दा की गई और यह निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक परिपत्र जारी किया जाये कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति किसी के द्वारा न की जाये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। और प्रकरण समाप्त कर दिया गया ।

मद सं० २

मद सं० ४ : डा० एम०शाबिर, आचार्य फार्माकोलाजी, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय को स्वास्थ्य मंत्रालय, कुवैत में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से २ वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति ।

डा० एम०शाबिर, आचार्य २ वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश पर कुवैत गये थे। प्रबन्ध मण्डल के निर्णय पर उन्हें अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु डा०शाबिर ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अतः प्रबन्ध मण्डल ने डा०शाबिर की सेवायें समाप्त करने का निर्णय लिया और निर्देश दिया कि सेवा समाप्ति आदेश Speaking Order में हो ।

मद सं० १०

पूरक – ३ : डा० मोती सिंह, सह प्राध्यापक, उद्यान विज्ञान विभाग को दिनांक १.५.६४ से ३१.५.६६ की अवधि का वेतन भुगतान किये जाने का प्रस्ताव ।

डा० सिंह के प्रकरण पर श्री बाल चन्द्र मिश्र ने यह प्रश्न उठाया कि प्रबन्ध मण्डल की १०८वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त अभिलेख शासन को नहीं भेजे गये। श्रीमती संतोष कश्यप तात्कालीन सदस्या की डा० सिंह के प्रकरण पर की गई जांच रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गयी और निर्देश दिया गया कि श्रीमती कश्यप की जांच रिपोर्ट व अन्य अभिलेख, जो न भेजे गये हों, शासन को शीघ्र भेजे जायें ।

बैठक के अन्त में दिये गये निर्देश :

६. श्री टी०सी० मिश्र के निलम्बन एवं यू०जी०सी० वेतनमान देने या न देने के सम्बनध में चल रही जांच से संबंधित कार्यवाही से प्रबन्ध मण्डल अवगत हुआ। श्री टी०सी० मिश्र के यू०जी०सी० वेतनमान दिये जाने के संबंध में माननीय सदस्य श्री बाल चन्द्र मिश्र ने न्यायालय द्वारा वर्ष १९९३–९४ में दिये गये दिशा निर्देश का उल्लेख किया परन्तु यह स्थिति स्पष्ट की गई कि यू०जी०सी० वेतनमान उसी व्यक्ति को देय होगा जो शिक्षक श्रेणी में आता हो तथा जिसके लिये शासन की सहमति प्राप्त हो। चूँकि राइस मिलिंग परियोजना में नियुक्त व्यक्ति परिनियम में शिक्षक श्रेणी में नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नहीं किये गये थे तथा शासन ने अपने आदेश दिनांक १६–१–९६ द्वारा यू०जी०सी० वेतनमान स्वीकृत करने की असहमति व्यक्त की है, अतः श्री मिश्र को यू०जी०सी० वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की । श्री बाल चन्द्र मिश्र ने कुलाधिपति के श्री टी०सी० मिश्र के निलम्बन को निरस्त करने के आदेश की चर्चा की कि कुलाधिपति महोदय के आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया । कुलपति एवं अध्यक्ष ने अवगत कराया कि श्री टी०सी०मिश्र का निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया गया है।

८. श्री मनोज कटियार की नियुक्ति से संबंधित प्रकरण पर कृत कार्यवाही से प्रबन्ध मण्डल अवगत हुआ। चर्चा के दौरानयह बात उठी कि श्री कटियार की नियुक्ति बिना सृजित पद के की गई। यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण की जांच कराई जाये और सभी तथ्यों के साथ प्रकरणशासन को संदर्भित कर दिया जाये ।

मद सं० ४

दिनांक २२ जनवरी, १६६७ को की गई शिक्षकों / वैज्ञानिकों की नियुक्तियों के अनुमोदन के प्रकरण पर महामहिम कुलाधिपति के पत्रांक ई–३७०६/जी०एस० दिनांक १५.६.६८, पत्रांक ६०६६/जी०एस० दिनांक ७.६.६८ एवं पत्र संख्या ६७४१/जी०एस० दिनांक २२.६.६८ के निर्देशानुसार प्रबन्ध परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव ।

संबंधित १३ शिक्षकों / वैज्ञानिकों की नियुक्ति एवं सेवा की निरन्तरता पर प्राप्त लिपिक राय आदि से प्रबन्ध मण्डल अवगत हुआ । इस संदर्भ में श्री बाल चन्द्र मिश्र ने कहा कि पूर्व नियुक्ति क०सं० ३, ४ एवं १० के सहायक प्राध्यापक कमश : श्री विजय बहादुर यादव, श्री लोकेन्द्र तथा श्री राम प्यारे को पद न होने पर भी नियुक्त किया गया है यह परिनियम के विपरीत है। इन नियुक्तियों का परीक्षण कराकर पूर्ण स्थिति आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

मद सं० ६

कुलाधिपति महोदय केसचिव के पत्र सं० ई–३३८/जी०एस० दिनांक २.७.६८ द्वारा प्रेषित संदर्भ को प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :

प्रबन्ध मण्डल के दिनांक ८.१२.६८ के अनुमोदन के पश्चात् चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों की तिथि से "पदनाम" दिये जाने के आदेश निर्गत करने पर श्री बाल चन्द्र मिश्र ने इंगित किया कि प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की तिथि के पश्चात् शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने पर ही "पदनाम" प्रभावी माना जाये, का निर्णय प्रबन्ध मण्डल की पूर्व दिनांक ६.१.६८ की बैठक में लिया गया है। इस पर चर्चा केबाद यह निर्देश दिया गया है कि प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णयानुसार संबंधित शिक्षकों को "पदनाम" दिया जाये एवं "पदनाम" देने संबंधी निर्गत आदेशों में संशोधन किया जाये ।

मद सं० २३

डा० राजेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशकीय विभाग को अध्ययन अवकाश हेतु एक वर्ष का शिक्षण अवकाश पूर्ण वेतन सहित स्वीकृत करने का प्रस्ताव ।

डा० राजेन्द्र कुमार के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति की कृत कार्यवाही पर यह चर्चा हुई कि कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर एवं फैजाबाद की भांति इस विश्वविद्यालय के परिनियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव कुलाधिपति महोदय को भेजा जाये जिसमें आई०सी०ए०आर० द्वारा की गई व्यवस्था का भी समावेश किया जाये जिसमें यह व्यवस्था है कि अध्ययन अवकाश पर जाने वाले शिक्षक/ वैज्ञानिक को वेतन के साथ स्कालरशिप/फेलाशिप देय होती है । यह भी निर्देश दिया गया कि डा० राजेन्द्र कुमार के अध्ययन अवकाश के प्रकरण को शासन को संदर्भित कर दिया जाये ।

मद सं० ३ — **चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर की वित्त उपसमिति की दिनांक ३०.१२.६८ को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन**

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक ३०.१२.६८ में की गई संस्तुतियों सम्बन्धी कार्यवृत्त अनुमोदित किया ।

मद सं० ४ — **वित्त उपसमिति की दिनांक ३०.१२.६८ को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर अर्थ नियंत्रक की टिप्पणी ।**

प्रबन्ध मण्डल अर्थ नियंत्रक की टिप्पणी से अवकत हुआ ।

मद सं० ५ — **वित्तीय वर्ष १६६६–२००० हेतुशासन द्वारा आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्ष में सहायक अनुदान धनराशि रू० २३६०.४२ लाख व्यय हेतु अनुगति दिये जाने पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने रू० २३६०.४२ लाख वर्ष १६६६–२००० में व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की ।

मद सं० ६ — **विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय की बाउन्ड्री पर सड़क के किनारे शापिंग– कम–हाउरिंग काम्पलेक्स (नीचे दुकान एवं ऊपर आवास) का निर्माण कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया। यह निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय की वह भूमि जो विश्वविद्यालय के लिये अनुपयोगी हो उसके विक्रय का प्रस्ताव पूर्ण औचित्य एवं कारणों सहित प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनोपरान्त शासन को प्रेषित किया जाये।

मद सं० ७ — **विद्वत परिषद ने स्व० डा० कीर्तिकर स्मारक स्वर्ण पदक एवं डा० कीर्तिकर छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव सं० ११३६ दिनांक ८.१०.१६६७ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का अनुमोदन ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं० ८ — **डा० बी०के० यादव, डिप्टी रजिस्ट्रार, डा० बी०आर०अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा की नियुक्ति डिप्टी डायरेक्टर, जूट डेवलेपमेंट, कलकत्ता के पद पर होने के फलस्वरूप २ वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने डा० यादव, डिप्टी रजिस्ट्रार को दिनांक २८.५.६६ से २ वर्ष का धारणाधिकार उनके मूल पद पर सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

मद सं० ६ — **डा०आर०एन० चटर्जी, सहायक आचार्य, पशु प्रजनन एवं सम्बर्द्धन विभाग, वेटेरीनरी कालेज मथुरा को दिनांक ८.५.१६६६ से २ वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने डा० चटर्जी, सहायक आचार्य को दिनांक ८.५.१६६६ से २ वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

मद सं० १० डा० बी०के० चतुर्वेदी, सहायक आचार्य, जीवाणु विज्ञान विभाग, मथुरा कालेज की दो वर्ष के धारणाधिकार की अवधि दिनांक २२.६.६८ को समाप्त होने पर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप उनका धारणाधिकार समाप्त किये जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० चतुर्वेदी के द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने पर धारणाधिकार समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया क्योंकि परिनियमों में २ वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने का प्राविधान है। यह भी निर्णय लिया गया कि ५ वर्ष धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने हेतु परिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव कुलाधिपति महोदय को भेजा जाये ।

मद सं० ११ विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के नौ जनपदों में उत्तर प्रदेशशासन की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप कृषि ज्ञान केन्द्रों की स्थापना / संचालन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

मद सं० १२ अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।

डा० कलियान सिंह, पेस्टीराइड केमिस्ट को दिनांक १७.१०.६६ से दिनांक १०.६.७० तक के अध्ययन अवकाश के विनियमतीकरण के संबंध में प्रस्ताव ।

डा० कलियान सिंह के दिनांक १७.१०.१९६६ से २४ मार्च, १९७० तक स्वीकृत अध्ययन अवकाश के उपभोग के पश्चात् दिनांक २४.३.१९७० को शासन को ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर २५ मार्च, १९७० से १०.६.१९७० तक शासन की नियुक्ति का आदेश होने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ी और शासन का आदेश प्राप्त होने पर डा० सिंह ने ११.६.१९७० को स्वायल माइक्रो बायोलाजिस्ट के पद परशुगरकेन रिसर्च स्टेशन, शाहजहांपुर में कार्यभार ग्रहण किया । सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने डा० सिंह को २५.३.१९७० से १०.६.१९७० तक का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया ।

बैठक के अन्त में डा० राम आसरे सिंह कुशवाहा, श्रीमती संतोष कश्यप एवं डा० मंगला राय प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को उनके प्रबन्ध मण्डल की सदस्यता अवधि पूर्ण होने एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में उनके सकिय योगदान के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल में लाया जाये और ऐसे सदस्यों को सूचना भी प्रेषित की जाये।

प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक दिनांक २१.१०.१९९९ को पूर्वान्ह ११.०० बजे चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(राम नाथ)
कुलपति एवं अध्यक्ष

(जगदेव प्रसाद)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल